

Liaison with the State Governments/State DTE/Professional Bodies/Industrial Organisations.

Survey of technical institutions—technical manpower assessment—Developing Data Base—Collection & dissemination of information Guide to the State Governments for further development.

Implementation of Quality Improvement Programmes:

- (a) Collection of data on staff development schemes;
- (b) Placement of teachers for practical training in industry;
- (c) Consolidation of Technical Institutes, courses and programmes already existing;
- (d) Promotion and implementation of prescribed norms.

Accreditation (Assistance to National Board on Accreditation)

- (a) Visits to Institutions.
- (b) Assessment of Programmes and Facilities.
- (c) Reports on overall assessment.

Monitoring and Evaluation:

- (a) All Central Schemes.
- (b) All States Schemes.
- (c) Revitalisation of system of Technical Education from time to time.

P.R. Contact with Public students, teachers, etc. Arrangement for Delegations from India and abroad. Any other work assigned by the Council.

Demarcation of Regions:

Western Region:

States: Gujarat, Goa, Madhya Pradesh and Maharashtra.

U.Ts.: Daman and Diu, Dadra & Nagar Haveli.

[No. F. 1-51/89-T.D.S. (AICTE)]

सं.का.नि. 389:—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) के खंड 14 (iv) और 23(ii)(ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एतद्-द्वारा 18 अप्रैल, 1990 से कानपुर में अपने कार्यालय

सहित उत्तरी क्षेत्रीय समिति संस्थापित करती है। उत्तरी क्षेत्रीय समिति की संरचना कार्यकरण, सीमांकन और सदस्यता नीचे दी गई है:—
संरचना और सदस्यता

1. अध्यक्ष

(अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाने के लिए)

डा. पी.पी. गुप्ता,
अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक,
संगणक रख-रखाव निगम,
नई दिल्ली।

अध्यक्ष

2. शिक्षा विभाग

(एक प्रतिनिधि)
सदस्य

प्रो. एस. के. श्रीवास्तव,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार (टी)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
(शिक्षा विभाग)
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

3. धर्म मंत्रालय

(एक प्रतिनिधि)
सदस्य

श्री एस.आई. सिद्धकी,
निदेशक,
ए.टी.आई., उद्योग नगर,
कानपुर

4-6. प्रमुख नियोजन मंत्रालय

(3 प्रतिनिधि)

(रेलवे यातायात, पी. डब्ल्यू. डी.,
रक्षा, सिंचाई, शक्ति इत्यादि)

7-14 राज्य और संघ शासित प्रदेश

(प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेश से एक प्रतिनिधि)

1. चंडीगढ़

सदस्य

निदेशक, तकनीकी शिक्षा
संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़,
चंडीगढ़।

2. दिल्ली

सदस्य

श्री कुचानन्द भारतीय
कार्यकारी पापंद (शिक्षा)
पुराना सचिवालय, दिल्ली।

3. उत्तर प्रदेश

सदस्य

विशेष सचिव
तकनीकी शिक्षा, उत्तर प्रदेश
सरकार लखनऊ-226001

4. राजस्थान :
श्री गोविन्द जी मिथुन संदस्य
आयुक्त तथा सचिव,
तकनीकी शिक्षा,
राजस्थान जयपुर
5. हरियाणा
श्री त्रिलोचन सिंह, आई. ए. एस. सदस्य
राजस्व आयुक्त तथा सचिव,
तकनीकी शिक्षा, हरियाणा,
चंडीगढ़।
- *6. हिमाचल प्रदेश } (प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिधि)
*7. जम्मू और कश्मीर
*8. पंजाब।
- 15-17 उद्योग वाणिज्य तथा श्रम से जुड़े हुए प्रख्यात व्यक्ति (3 प्रतिनिधि जो परिपद के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे)
श्री आर. सी. भागवत,
प्रबन्ध निदेशक,
महानि उद्योग लि.,
11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश
26, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-110001
- वाणिज्य
श्री ए. एच. दलाल,
अध्यक्ष, सनदी लेखा पाल संस्थान,
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली
- श्रम
श्री ए. वी. वर्धन
ए. आई. टी. यू. सी.
नई दिल्ली।
18. भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी (एक प्रतिनिधि)
डा. एस. सी. हान्डा,
प्रो. तथा समन्वयक
क्यू. आई. पी. केन्द्र,
रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की (उ.
प्र.)
- 9-26 आई. आई. टी., आर. ई. सी. (8 प्रतिनिधि परिपद प्रबन्ध संस्थान, राज्य इंजीनियरी के अध्यक्ष द्वारा मनो-नामज, पालिटेक्निक सहित नीत होंगे)
तकनीकी संस्थान इत्यादि
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
- प्रो. एन. सी. निगम,
निदेशक,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
होजखास, नई दिल्ली-110016
- क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज
डा. बरकट हुसैन,
प्रो. सिविल इंजीनियरी,
क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज,
श्री नगर
- राज्य इंजीनियरी कालेज
डा. टी. आर. अनन्तरमन
निदेशक,
थापर, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी
संस्थान पटियाला।
- पालिटेक्निक :
डा. डी. आर. मल्होत्रा सदस्य
निदेशक,
वाई. एम. सी. ए. इंजीनियरी
संस्थान, फरीदाबाद।
- तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
प्रो. के. वी. रैना, सदस्य
प्रधानाचार्य,
तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
सेक्टर- 6, चंडीगढ़-160019
- (i) प्रो. वी. पी. रजोरी, सदस्य
प्रोफेसर
योजना तथा वास्तुकला
स्कूल
नई दिल्ली।
- (ii) डा. (कु.) वी. पाटिल सदस्य
निदेशक,
भारतीय प्रबन्ध संस्थान,
तखनऊ।
- (iii) डा. परवीन्द्र सिंह, सदस्य
उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक,
रैनबाघी प्रयोगशाला लि.,
19, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
- 27-29 अखिल भारतीय शिक्षण बोर्ड: (3 प्रतिनिधि)
30* इंजीनियरी संस्थान (भारत) (एक प्रतिनिधि)
- 31-32* राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड: (दो राज्यों राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा बोर्ड/परिपद के अध्यक्ष)

1. अध्यक्ष, राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/परिषद, राजस्थान पदेन सदस्य वैकल्पिक : डा. एस.के. चोपड़ा, उप सलाहकार (शिक्षा) योजना आयोग, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/परिषद, हिमाचल प्रदेश पदेन सदस्य
- 33-34 प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड : (दो बोर्डों के अध्यक्ष)
1. अध्यक्ष, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर, पदेन सदस्य 44. महिलाओं के हितों की देखभाल करने के लिए प्रतिनिधि श्रीमती देवकी जैन, सदस्य एस.एम.एस. धीरेटर फाउंट म्यूजियम, 5, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कलकत्ता। पदेन सदस्य
- 35-36 राज्य औद्योगिक संपर्क बोर्ड : (क्षेत्र के राज्य के दो औद्योगिक संपर्क बोर्ड के अध्यक्ष)
1. अध्यक्ष, राज्य औद्योगिक संपर्क बोर्ड, जम्मू और कश्मीर पदेन सदस्य 45. ग्रामीण विकास के लिए उचित तकनीकी के हितों की देखभाल करने के लिए प्रतिनिधि श्री प्रार. एन. कपूर - सदस्य अध्यक्ष, ग्राम विकास, 7-ई, स्वामी राम तिरथ नगर रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055.
2. अध्यक्ष राज्य औद्योगिक संपर्क बोर्ड, पंजाब पदेन सदस्य 46. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तरी क्षेत्र सदस्य-सचिव कार्यालय कानपुर।
37. *इंजीनियरी उद्योग संघ : (एक प्रतिनिधि)
- 38। प्रख्यात समाज वैज्ञानिक (एक प्रतिनिधि)
1. श्री ए. रहमान, सदस्य सी.एस.आई. प्रार. के भूतपूर्व
39. भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी : (एक प्रतिनिधि) टिप्पणी :— *इन संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से उत्तरी क्षेत्रीय समिति के सदस्य के कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- डा. प्रार.जी. गड्डे, सदस्य सम-कुलपति, इ.आ.रा.मु.वि. वि., मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
40. राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना व्यवस्था : (एक प्रतिनिधि) कार्यकरण :— नयी तकनीकी संस्थाओं, नये पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों की शुरुआत सहित विकास प्रस्तावों/योजनाओं पर कार्रवाई करना। परिषद की सिफारिशों/निर्णय का कार्यान्वयन। निम्नलिखित के साथ पारस्परिक क्रिया-कलाप।
- प्रमुख सूचना व्यवस्था, सदस्य अनुप्रयुक्त जनशक्ति शोध संस्थान, नई दिल्ली।
41. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग : (एक प्रतिनिधि) (क) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, (ख) राज्य औद्योगिक संपर्क बोर्ड, (ग) तकनीकी संस्थाओं की शासी निकाय, (घ) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, (ङ) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, (च) सामुदायिक पालिटेक्निक, (छ) प्रशिक्षण बोर्ड, (ज) अन्य तकनीकी संस्थान, निकाय, और (झ) राज्य समितियां तथा अन्य शैक्षिक संगठन/निकाय।
- डा. एस.पी. गुप्ता, सदस्य प्रपर सचिव, यू.जी.सी. बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
42. *राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड : (एक प्रतिनिधि)
43. योजना आयोग : (एक प्रतिनिधि) राज्य सरकारों/राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय, व्यावसायिक निकाय/औद्योगिक संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करना।
- श्री एम.प्रार. कोल्हाटकर, सदस्य सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।

तकनीकी संस्थाओं का सर्वेक्षण-तकनीकी जनशक्ति का मूल्यांकन, सांख्यिकी आधार का विकास राज्य सरकारों के लिए भावी विकास के लिए मार्गदर्शी सूचना का संग्रह तथा प्रसारण। कोटि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

(क) कर्मचारी विकास योजनाओं संबंधी आंकड़े एकत्र करना।

(ख) उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों का नियोजन।

(ग) पहले से विद्यमान तकनीकी संस्थानों, पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों का समेकन।

(घ) निर्धारित मानदंडों का प्रोत्साहन और क्रियान्वयन। प्रत्यायन (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को सहायता)

(क) संस्थाओं के दोरे।

(ख) कार्यक्रमों और सुविधाओं का मूल्यांकन।

(ग) समग्र मूल्यांकन संबंधी रिपोर्टें।

अनुश्रवण तथा मूल्यांकन।

(क) सभी केन्द्रीय योजनाएं।

(ख) सभी राज्य योजनाएं।

(ग) समय-समय पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली को पुनः सक्रिय करना।

जनता, छात्रों, शिक्षकों आदि से पी.आर. सम्पर्क स्थापित करना। भारत तथा विदेश से शिष्टमंडलों के लिए प्रबन्ध करना। परिषद द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य। क्षेत्रों का सीमांकन।

उत्तरी क्षेत्र

राज्य : हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

संघ शासित प्रदेश : चंडीगढ़ और दिल्ली।

[सं. एफ. 1-50/89-टी-5 (अ.भा.त.शि.प.)]

G.S.R. 389:—In exercise of the powers conferred under Clause 14(iv) and 23(ii) (e) of the All India Council for Technical Education (AICTE) Act, 1987 (No. 52 of 1987) the AICTE hereby establishes the Northern Regional Committee with its office at Kanpur w.e.f. 18th April, 1990. The composition, functions demarcation and Membership of the Northern Regional Committee will be as given below:

Composition and Membership

1. Chairman

(to be appointed by the Chairman. All India Council for Technical Education).

Dr. P.P. Gupta,

Chairman

Chairman & Managing

Director,
Computer Maintenance
Corporation,
New Delhi.

2. Department of Education
(one representative)

Prof. S.K. Srivastava,
Joint Educational Adviser (T),
Ministry of Human Resource
Development,
(Deptt. of Education)
Shastri Bhavan,
New Delhi.

Member

3. Ministry of Labour
(one representative)

Shri S.I. Siddiqui,
Director,
ATI,
Udyog Nagar,
Kanpur.

Member

4-6. *Major Employment Ministries
(three representatives)
(Railway, Transport, P.W.D.,
Defence, Irrigation, Power etc.)

7-14 Date & Union Territories
(one representative from each
State and UT)

1. Chandigarh

Director Technical Education,
UT of Chandigarh,
Chandigarh.

Member

2. Delhi

Shri Kulanand Bhartiya,
Executive Councillor
(Education)
Old Sectt.
Delhi.

Member

3. Uttar Pradesh

Special Secretary,
Technical Education,
Govt. of UP
Lucknow-226 001.

Member

4. Rajasthan

Shri Govind Jee Misra
Commissioner & Secretary
Technical Education,
Rajasthan,
Jaipur.

Member

- 2)
5. Haryana
Shri Trilochan Singh, Member
IAS,
Financial Commissioner &
Secretary,
Technical Education,
Haryana,
Chandigarh.
- *6 Himachal Pradesh }
*7 Jammu & Kashmir } One representative from
*8. Panjab } each of the States.
- 15-17. Eminent persons connected
with Industry, Commerce
and Labour.
(three representatives to be
nominated by the Chairman of
the Council).
- Industry
Shri R.C. Bhargava,
Managing Director,
Maruti Udyog Ltd. (MUL),
11th Floor,
Jeewan Prakash,
26, Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110001.
- Commerce
Shri A.H. Dalal,
President
Institute of Chartered Accountants,
Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110002.
- Labour
Shri A.B. Bardhan,
AITUC
New Delhi.
18. Indian Society for Technical
Education
(one representative)
Dr. S.C. Handa,
Professor and Coordinator,
QIP Centre,
Roorkee University.
Roorkee (UP).
- 19-26 Technical Institutions including
IITs, RECs, Managing
Institutions State Engg.
Colleges, Polytechnics etc.
(8 representatives to be nominated
by the Chairman of the
Council).
- IITs
Prof. N.C. Nigam
Director,
Indian Institute of Technology,
Hauz Khas,
New Delhi-110016.
- RECs
Dr. Barket Hussain,
Professor of Civil Engg.
Regional Engg. College,
Srinagar.
- State Engineering Colleges
Dr. T.R. Anantharaman,
Director,
Thapar Institute of Engg. &
Technology,
Patiala.
- Polytechnics
Dr. D.R. Malhotra, Member
Director,
YMCA Institute of Engineering
Faridabad.
- TTTIs
Prof. K.B. Raina, Member
Principal,
Technical Teachers' Training
Institute,
Sector-26,
Chandigarh-160019.
- (i) Prof. V.P. Raori, Member
Professor,
School of Planning & Architecture,
New Delhi.
- (ii) Dr. (Miss) V. Patil, Member
Director,
Indian Institute of Management,
Lucknow.
- (iii) Dr. Parvinder Singh, Member
Vice-Chairman & Managing
Director,
Ranbaxy Laboratories Ltd.
19, Nehru Place,
New Delhi.
- 27-29 *All India Boards of Studies
Three representatives.
- 30 *Institutions of Engineers
(India)
(One representative).

31-32 State Boards of Technical

Education: (Chairman of the two State Boards/Council of Tech. Education of Rajasthan & Himachal Pradesh).

1. Chairman, State Board/Council of Education, Rajasthan. Ex-officio Member
2. Chairman, State Board/Council of Tech. Education, Himachal Pradesh. Ex-officio Member

33-34 Boards of Apprenticeship Training:

(Chairman of two Boards)

1. Chairman, Board of Apprenticeship Training, Kanpur. Ex-officio Member
2. Chairman, Board of Apprenticeship Training, Calcutta. Ex-officio Member

35-36 State Industrial Liaison Boards :
(Chairman of two Industrial Liaison Boards in States in the Region)

1. Chairman State Industrial Liaison Board of Jammu & Kashmir. Ex-officio Member
2. Chairman State Industrial Liaison Boards of Punjab. Ex-officio Member

37. *Confederation of Engineering Industry:
(One representative)

38. Eminent Social Scientists: (One representative,

1. Shri A. Rahman, Previously of CSIR. Member

39. Indian National Academy of Engineering
(One representative)

Dr. R.G. Garde,
Pro-Vice-Chancellor, IGNOU,
Maidan Garhi,
New Delhi. Member

40. National Technical Manpower
Information System: (One representative)
Chief Information System,
Institute of Applied Manpower Research,
New Delhi. Member.41. University Grants Commission: (One
representative)
Dr. S.P. Gupta,
Additional Secretary,
U.G.C. Bhadurshah Zafar Marg,
New Delhi. Member42. *National Board of Accreditation : (One
representative) Member43. Planning Commission: (One representative)
Shri M.R. Kolhatkar,
Adviser (Education),
Planning Commission,
Yojana Bhavan. New Delhi. Member

Alternative
Dr. S.K. Chopra,
Dy. Advisers (Education),
Planning Commission, New Delhi.

44. Representative to look after the interest
of Women: Member
Mrs. Devaki Jain,
SMS Theatre Crafts Museum,
5, Deen Dayal Upadhyaya Marg,
New Delhi.45. Representative to look after the interests of
Appropriate Technology for Rural Deve-
lopment : Member

Shri R.N. Kapur,
President,
Gram Vishav,
7-E, Swami Ram Tirath Nagar,
Rani Jhansi Road,
New Delhi-110055.

46. Regional Officer, Northern Regional Office,
Kanpur. Member-Secretary

Note :—The Members representing these or-
ganisations will assume the charge of
the Members of the Northern Regional
Committees from the date they are so
appointed.

Functions

Processing of development proposals /schemes including starting of new technical institutions, new courses and programmes.

Implementation of the recommendations/ decision of the Council.

Interaction with (a) the State Board of Technical Education; (b) State Industrial Liaison Board; (c) Governing Bodies of technical institutions; (d) Regional Engineering Colleges; (e) TTIs; (f) Community Polytechnics; (g) Boards of Apprenticeship Training; (h) other technical institute bodies; and (i) Committees of the States and other educational organisations/bodies.

Liaison with the State Governments/State DTE/Professional Bodies/Industrial Organisations.

Survey of technical institutions—technical manpower assessment—Developing Data Base Collection & dissemination of information Guide to the State Governments for future development.

Implementation of Quality Improvement Programmes:

- Collection of data on staff development schemes;
- Placement of teachers for practical training in Industry;
- Consolidation of Technical Institutes, courses and programmes already existing;
- Promotion and implementation of prescribed norms.

Accreditation (Assistance to National Board on Accreditation).

- Visits to Institutions.
- Assessment of Programmes and Facilities.
- Reports on overall assessment.

Monitoring and Evaluation:

- All Central Schemes.
- All States Schemes.
- Revitalisation of system of Technical Education from time to time.

P.R. Contact with Public students, teachers etc.

Arrangement for Delegations from India and abroad.

Any other work assigned by the Council.

Demarcation of Region.

Northern Region.

States: Haryana, Himachal Pradesh, J&K, Punjab, Rajasthan and U.P.

U.T. : Chandigarh and Delhi.

[No.F.1-50/89/T.5 (AICTE)]

सा.का.नि. 390 :—ग्रन्थिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) के खंड 14 (iv) और 23 (ii) (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रन्थिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्वारा 18 अप्रैल, 1990 में मद्रास में अपने कार्यालय सहित दक्षिणी क्षेत्रीय समिति संस्थापित करती है। दक्षिणी क्षेत्रीय समिति की संरचना कार्यकरण, सीमांकन और सदस्यता निम्नलिखित है :—
गठन और सदस्यता :

* 1. अध्यक्ष :

अध्यक्ष

(ग्रन्थिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नियुक्त होगा)

2. शिक्षा विभाग :

(एक प्रतिनिधि)

प्रोफेसर एम. के. श्रीवास्तव, मदन्य
संयुक्त शिक्षा सलाहकार (त.),
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
(शिक्षा विभाग)
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

3. श्रम मंत्रालय :

(एक प्रतिनिधि)

श्री बी. एम. राघवन, मदन्य
निदेशक,
सी. आई. एम. आई., मार्फत रोड,
गिन्डी, मद्रास।

4-6 मुख्य रोजगार मंत्रालय :

(तीन प्रतिनिधि)

(रेलवे परिवहन, लोक कल्याण विभाग,
रक्षा, सिचार्ड, विद्युत आदि)

7-13 राज्य और संघ नामित प्रदेश :

(प्रत्येक राज्य और संघ नामित प्रदेश से एक प्रतिनिधि)

1. पाण्डिचेरी : डा. एस. रामे मदन्य
गोवाडा,
प्रधानाचार्य,
पाण्डिचेरी इंजीनियरी कालेज,
पाण्डिचेरी।

2. केरल : डा. आर. जयारामण, सदस्य तकनीकी शिक्षा निदेशक, केरल सरकार, पावर हाउस रोड, त्रिवेन्द्रम,	भा. प्रौ. संस्थान : निदेशक, पदेन सदस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास छ. क्षे. इंजी. केन्द्र
3. लक्षदीप : श्री एम. जी. वंसल, सदस्य शिक्षा निदेशक, लक्षदीप संघ शासित करावती, द्वीपसमूह :	डा. पी. उन्नीकृष्ण पिल्लै, सदस्य प्रधानाचार्य, धेन्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट 670360
*4. आन्ध्र प्रदेश सदस्य	विश्वविद्यालय/राज्य इंजीनियरी कालेज
*5. कर्नाटक सदस्य	डा. डी. स्वामीनाथन सदस्य कुलपति जवाहर नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद,
*6. तमिलनाडु सदस्य	पालिटेक्निक : श्रीमती पार्वती, सदस्य प्रधानाचार्य, वूमेन्स पालिटेक्निक, मद्रास त. शि. प्र. सं.
14-16 उद्योग वाणिज्य और श्रम (अखिल भारतीय से संबंधित विख्यात व्यक्ति तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा नामित किए जाने वाले तीन प्रतिनिधि) डा. बी. प्रसाद सदस्य उपाध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आयोग, हैदराबाद	प्रोफेसर टी. सुब्बाराव, सदस्य प्रधानाचार्य, त. शि. प्र. सं., मद्रास
वाणिज्य : अध्यक्ष, दक्षिण भारतीय प्लेटेशन पदेन सदस्य संघ *श्रम रिक्त	प्रबन्ध निदेशक, पदेन सदस्य भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर, कम्प्यूटर विज्ञान प्रोफेसर ए. के. मेनन, सदस्य कम्प्यूटर विज्ञान के प्रमुख, कम्प्यूटर विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन- 682022
17. भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी (एक प्रतिनिधि) डा. रवि कुमार, सदस्य प्रधानाचार्य, कालेज आफ इंजीनियरिंग, त्रिवेन्द्रम-695016.	फार्मैसी डा. ए. डी. दामोदरन, सदस्य निदेशक, आर. आर. एन., त्रिवेन्द्रम, ।
18-28 भा. प्रौ. संस्थानों, क्षेत्रीय (अखिल भारतीय तक- इंजीनियरी केन्द्रों, प्रबन्ध नीकी शिक्षा परिषद संस्थानों, राज्य इंजीनियरी द्वारा नामित किए जाने कालेज तथा पालिटेक्निक वाले 3 प्रतिनिधि आदि ।	

26-28* अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड : (तीन प्रतिनिधि)

29* इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया (एक प्रतिनिधि)

30-31 राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड : (तकनीकी शिक्षा के दो राज्य बोर्ड/परिषद के अध्यक्ष)

1. अध्यक्ष, तकनीकी शिक्षा की राज्य- पदेन सदस्य बोर्ड/परिषद आन्ध्र प्रदेश

2. अध्यक्ष, तकनीकी शिक्षा का राज्य पदेन सदस्य बोर्ड/परिषद, तमिलनाडु

32-33 प्रशिक्षुता बोर्ड : (दो बोर्डों के अध्यक्ष)

1. अध्यक्ष, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, मद्रास पदेन सदस्य

2. अध्यक्ष, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, पदेन सदस्य बोर्ड, बम्बई

34-35 : राज्य औद्योगिक सम्पर्क बोर्ड : (दो औद्योगिक सम्पर्क बोर्डों के अध्यक्ष)

1. अध्यक्ष, औद्योगिक सम्पर्क बोर्ड, कर्नाटक पदेन सदस्य केरल

2. अध्यक्ष, औद्योगिक सम्पर्क बोर्ड, कर्नाटक पदेन सदस्य

36. औद्योगिक इंजीनियरी परिसंघ (एक प्रतिनिधि)

श्री सी. आर. स्वामीनाथन, सदस्य
प्रमुख कार्यकारी,
पी.एम.सी. औद्योगिक संस्थान,
कोयम्बटूर-641004

37. विद्यार्थ समाज विज्ञानी। (एक प्रतिनिधि)

प्रोफेसर सी.टी. कुरियन सदस्य
पूर्व निदेशक, मिड्स

38. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग : (एक प्रतिनिधि)

डा. एस. पी. गुप्ता सदस्य
अपर सचिव,
वि. आ. आ. बहादुरशाह जफर
मार्ग, नई दिल्ली।

39. योजना आयोग : (एक प्रतिनिधि)

श्री एम. आर. कोल्हाटकर, सदस्य
सलाहकार (शिक्षा)
योजना आयोग, नई दिल्ली।

विकास :

श्री ए. आर. चोपड़ा,
उप सलाहकार (शिक्षा)
योजना आयोग
योजना भवन, नई दिल्ली।

40. राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड : (एक प्रतिनिधि)

41. महिलाओं के हितों की देख-भाल (एक प्रतिनिधि)
करने हेतु प्रतिनिधि :
डा. लीला गुलाटी, सदस्य
विक्रम अध्ययन केन्द्र,
त्रिवेन्द्रम।

42. ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त (एक प्रतिनिधि)
प्रायोगिकी के हितों की देख-भाल
करने के लिए प्रतिनिधि :
प्रोफेसर सी.बी. जेपात्री, सदस्य
मुम्बई चेटियार संस्थान, मद्रास

43. क्षेत्रीय अधिकारी : सदस्य सचिव
दक्षिणी क्षेत्रीय, मद्रास

टिप्पणी :— *इन संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य उस तारीख से दक्षिणी क्षेत्रीय समिति सदस्य के रूप में कार्यभार संभालेंगे जिन उन्हें नियुक्त किया जाता है।

कार्यकरण :— नयी संस्थाओं, नये पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों की शुरुआत सहित विकास प्रस्तावों/योजनाओं पर कार्यवाई करना। परिषद की सिफारिशों निर्णय का कार्यान्वयन। निम्नलिखित के माध्यम से परस्परिक क्रियाकलाप :—

(क) तकनीकी शिक्षा की राज्य संस्था; (ख) राज्य औद्योगिक सम्पर्क बोर्ड; (ग) तकनीकी संस्था के शाखा निकाय; (घ) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज; (ङ) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान; (च) मामूलाधिक पालिटेक्निक; (छ) प्रशिक्षण प्रशिक्षण बोर्ड; (ज) अन्य तकनीकी संस्था निकाय; और (झ) राज्य समितियों तथा